तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतः महिलाओं, बच्चों तथा अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करना

वार्षिक समीक्षा में न्याय, बोलने की आजादी के प्रति नए खतरों पर चर्चा

(न्यूयॉर्क, 21 जनवरी, 2013) – ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा अपने *वर्ल्ड रिपोर्ट 2014* में यह बात कही गई है कि महिलाओं तथा बच्चों को बलात्कार तथा यौन हिंसा से संरक्षण प्रदान करने में भारत सरकार की असमर्थता से सभी भारतीयों के अधिकारों को समर्थन प्रदान करने की इसकी खोखली प्रतिबद्धता का पता चलता है। 2013 के दौरान प्राधिकारी दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समूहों सहित कमजोर समुदायों को संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों को लागू करने में भी विफल रहे। व्यापक पैमाने पर निगरानी में वृद्धि करने की दिशा में सरकारी प्रयासों के कारण निजता तथा बोलने की आजादी जैसे अधिकारों पर भी प्रश्न चिह्न लगने लगे हैं।

ह्यूमन राइट्स वाच की दक्षिण एशियाई निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, ''भारत में यौन हमलों की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित होने के मद्देनजर नया कानून बनाया गया किन्तु सरकार को इस दिशा में व्यवस्था में बदलाव लाने हेतु कार्य करना चाहिए ताकि इस संबंध में वास्तविक प्रगति हासिल की जा सके।'' आपने यह भी कहा कि ''सरकार एक उत्तरदायी पुलिस बल का गठन करने तथा सशस्त्र बलों पर अभियोजन चलाने से संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों को निरसित करने के संबंध में सुधारों को क्रियान्वित करने के अपने वायदे को पूरा करने में भी विफल रही है।''

667 पृष्ठों की *वर्ल्ड रिपोर्ट 2014*, इसका 24वां अंक, में ह़्यूमन राइट्स वाच 90 से अधिक देशों में मानवाधिकारों से संबंधित व्यवहारों की समीक्षा की। ह़्यूमन राइट्स वाच ने कहा कि सीरिया में नागरिकों का व्यापक तौर पर कत्लेआम ने दहशत फैला दी किंतु विश्व के नेताओं द्वारा इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ''संरक्षण करने की जिम्मेदारी'' के फिर से बल प्रदान किए गए सिद्धांत के कारण प्रतीत होता है कि इससे अफ्रीका में कुछ सामूहिक कत्लेआम को रोका गया। मिस्त्र और अन्य देशों में सत्ता में बैठे लोगों ने विरोध और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला है। और अमेरीका के निगरानी कार्यक्रमों के बारे में एडवार्ड स्नोडन द्वारा किए गए खुलासे की खबरे दुनिया भर में गुंजाएमान रही।

ह्यूमन राइट्स वाच का यह कहना है कि भारत में अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मजबूत कानून मौजूद हैं किन्तु भ्रष्टचार की मजबूत जड़ें तथा जबावदेही की कमी के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शनों तथा अभिव्यक्ति की आजादी के माध्यम से अपनी बात को रखकर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले अनेक सिविल सोसायटी समूह सरकार द्वारा राजद्रोह से संबंधित कानूनों तथा वित्तीय विनियमों के दुरूपयोग के कारण लगातार बढ़ते हुए जोखिम का सामना कर रहे हैं।

अप्रैल में भारत में सभी फोन और इंटरनेट संचार पर निगरानी रखने के लिए एक केंद्रीय निगरानी तंत्र की स्थापना की गई किन्तु अधिकारों से संबंधित समूहों को भय है कि निजता के अधिकार के लिए पर्याप्त निगरानी या संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण इस तंत्र के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

पीड़ित परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साहस और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि सुरक्षा बलों के हाथों की गई न्यायेतर हत्या के मामलों जिनमें सुरक्षा बलों ने झूठा दावा किया था कि वे मौतें दोनों पक्षों द्वारा शस्त्र प्रयोग किए जाने या सुरक्षा बलों द्वारा आत्मरक्षा के प्रयास में हुईं, में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया तथा कई मामलों में जांच शुरू की गई।

2014 में होने वाले संसदीय चुनाव का समय निकट है और अभी हाल ही में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच साम्प्रदायिक टकराव की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गईं। ह्यूमन राइट्स वाच का कहना है कि हिंसा की घटनाओं में वृद्धि का खतरा है क्योंकि राजनीतिक हित साधनेवाले समूह दोनों समुदायों के बीच तनाव का लाभ उठाने की मंषा रखते हैं।

मध्य तथा पूर्वी भारत में माओवादी उग्रवादियों द्वारा नागरिकों तथा सुरक्षा बलों पर हमले जारी रखे गए जबकि ग्रामीण समुदाय के लोग सरकारी बलों द्वारा अकारण गिरफ्तार कर लिए जाने और यंत्रणा दिए जाने के खतरे से जूझते रहे हैं। माओवादी स्कूलों को अपना निशाना बनाते रहे तथा सरकारी सुरक्षा बल न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपना अभियान चलाने के लिए स्कूल की इमारतों में शरण लेते रहे।

अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत द्वारा श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए गए किन्तु इसने दक्षिण एशिया से बाहर के देशों जैसे सीरिया में संकट का समाधान करने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया।

गांगुली ने कहा, ''विश्व मामलों में अधिक सशक्त भूमिका का निर्वहन करने की भारत की इच्छा को तब तक गंभीर रूप से नहीं लिया जाएगा जब तक कि इसके द्वारा विदेश तथा साथ ही अपने देश में भी मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में अधिकाधिक प्रयास आरंभ न किए जाएं।''